न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 145 / 2014 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर–2014 / 00357

उनवानी :–

1– मूलचंद पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

2– नारायण सिंह पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

3– वीरी सिंह पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

4– हरी सिंह पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

5– राजन देई पुत्री हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

6– श्यामवती पुत्री हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

7– द्रोपदी पत्नी पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

8– चंदन सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

9– गोविन्द सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

10– विजय सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

11– गुडिया पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

12– हेमलता पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

13– सुनीता पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।

14– ममता पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर

अपीलांट––––––––

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसील भरतपुर।

रेस्पो0––––––––––

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय
उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 18.07.2014 मु0न0
259 / 2011 उनवानी मूलचंद बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री तालेराम एड़0

2– वकील रैस्पो0 श्री रवीन्द्र सिंह फौजदार(राजकीय अधिवक्ता)

निर्णय दिनांक 06.02.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 275/0.41, 280/0.13, 282/0.17, किता 3 रकवा 71 है0 जो की साविक खसरा न0 239 रकवा 18 विस्वा 245 रकवा 1 बीघा 265 रकवा 18 विस्वा, 263 रकवा 1 बीघा, 1 विसवा किता 4 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम बछामदी तहसील भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधी0 न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस एकपक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज विवादित आराजी पर संख्या 2012 से काबिज है एवं गैर खातेदार दर्ज है। अपीलार्थीगण गत 53 वर्षो से काबिज काश्त होने के कारण विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदार हो गये है अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस अपीलार्थी के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी कस्टोडियन होने का कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है एवं न ही कोई नया प्रमाण इस न्यायालय में पेश किया है। जाति संशोधन बावत् भी अधीनस्थ न्यायालय के मत के खंडन बावत् कोई प्रमाण पेश नहीं किये है फिर भी इस न्यायालय का मत है कि गैर खातेदारी अनन्त काल तक जारी नहीं रह सकती अतः भूमिधारी प्रकरण का परीक्षण अपने स्तर पर करते हुऐ उचित कार्यवाही करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत् रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)
पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 145 / 2014 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर–2014 / 00357
उनवानी :–

1– मूलचंद पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
2– नारायण सिंह पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
3– वीरी सिंह पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
4– हरी सिंह पुत्र हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
5– राजन देई पुत्री हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
6– श्यामवती पुत्री हप्पू जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
7– द्रोपदी पत्नी पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
8– चंदन सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
9– गोविन्द सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
10– विजय सिंह पुत्र पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
11– गुडिया पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
12– हेमलता पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
13– सुनीता पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
14– ममता पुत्री पदम सिंह जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर

अपीलांट––––––––

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसील भरतपुर।

रेस्पो0––––––––

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 18.07.2014 मु0न0 259 / 2011 उनवानी मूलचंद बनाम सरकार।

यह अपील .....06.....माह.....02.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री– वकील अपीलांट श्री तालेराम एड़0.....समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि. अपील अपीलार्थी सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....06.....माह.....**02**.....सन्.....**2018**.....को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official